2009 में सरकार ने ऐसे किसानों द्वारा प्रथम किस्त के भुगतान के तिथि को 30.09.2008 से बढ़ाकर 31.03.2009 कर दिया है।

सरकार किसानों को 7% प्रतिवर्ष के ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक के फसल ऋण देने को सुनिश्चित करने के लिए एक ब्याज सहायता योजना का कार्यान्वयन कर रही है। यह योजना किसानों को तत्परता से भुगतान करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में भी कार्य करती है चूंकि यदि ऋण अतिदेय हो जाता है, तो बाजार ब्याज दर लागू हो जाता है।

Exemption in recovery of loan to farmers

†*148. SHRI SHIVANAND TIWARI:††
DR. MURLI MANOHAR JOSHI:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Rs. 32,000 crore is due as loan with farmers who hold five acres and more of agricultural land in the country;

(b) if not, the facts in this regard;

(c) whether any scheme is under consideration of Government for certain exemption to be given in recovery of the loan; and

(d) if so, the outline of the scheme and the number of farmers in the country who would benefit from this scheme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the Rajya Sabha.

Statement

(a) and (b) As reported by NABARD, on March 31, 2007, out of Rs. 2,93,070 crore outstanding in the accounts of farmers with holding of 5 acres or more, Rs. 43,446 crore was overdue.

(c) and (d) The Agricultural Debt Waiver and Debt Relief (ADWDR) Scheme, 2008 provided for One Time Settlement (OTS) scheme for all farmers with holding of 5 acres or more under which a rebate of 25 per cent has been provided against payment of the balance of 75 per cent in three instalments up to June 30, 2009. In January, 2009, the Government has extended the date of payment of first instalment of such farmers from 30.09.2008 to 31.03.2009.

Government is implementing an Interest Subvention Scheme to ensure that the farmers get short term crop loans up to Rs. 3 lakh at a rate of interest of 7% per annum. This Scheme also acts as an incentive for the farmers for prompt repayment since market rates of interest become applicable once the loan becomes overdue.

श्री शिवानन्द तिवारी: सभापति जी, सरकार ने इसी सदन में यह बताया था कि 2008 में लगभग 12 हजार किसानों ने आत्महत्या की है। जो किसानों के कर्ज़ की माफी हुई है, आपको ध्यान होगा कि महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा इलाके में किसानों की आत्महत्या की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही थीं और प्रधान मंत्री जी वहां पर गए थे। उन्होंने किसानों को राहत दी थी और उसी में यह लोन वेवर का मामला आया था। मैं सरकार से यह

†Original notice of the question was received in Hindi.

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Shivanand Tiwari.

जानना चाहता हूं कि विदर्भ में लगभग 40 हजार किसान हैं, उनमें से 16 हजार किसान 5 एकड़ से नीचे हैं और बाकी 5 एकड़ से ऊपर हैं तथा वहां पर पैदावार बहुत कम है, तो वहां पर 5 एकड़ या 10 एकड़ के किसानों की हालत में कोई फर्क नहीं है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश के वैसे इलाके, जहां काफी कम पैदावार है और पांच एकड़ से ज्यादा वाले किसान भी मुसीबत में हैं, क्या उन इलाकों के किसानों की ऋण माफी की सरकार की कोई योजना है?

श्री पवन कुमार बंसल : सर, ऋण माफी की जो स्कीम थी, वह स्कीम विस्तारपूर्वक थी। उसमें अलग-अलग तय किया गया है कि पांच एकड़ से नीचे वालों के लिए पूरा ऋण माफ होगा और ऊपर वालों के लिए उसमें राहत मिलेगी। समय-समय पर माननीय सदस्यों और बाकी जगहों से रिप्रेजेन्टेशन्स और मांग आती रही है कि इसको बढ़ाना चाहिए। आप इस बात से मेरे साथ सहमत होंगे आप कहीं भी कोई कट ऑफ रखें, तो भी हमेशा एक लाइन होती है, जिसके कुछ न कुछ लोग रह जाते हैं। यह देखने की जरूरत थी कि कितने लोगों को इसमें फायदा मिल सकता है और कितना पैसा इसमें लगाया जा सकता है। जैसे कि माननीय सदस्य व यह सदन जानता है कि 65,000 करोड़ से ऊपर ऋण माफी और राहत के लिए पैसा दिया गया और तकरीबन 3.68 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिला। मैं यह मानता हूं कि इसके बावजूद भी देश में और भी बहुत से लोग होंगे जिनको इसकी जरूरत है, लेकिन जो साधन थे, उस वक्त जितना था, जिसमें प्रधानमंत्री के जिले, विदर्भ के जिले इसमें आते हैं, लेकिन हमारे जो दिशा-निर्देश हैं, हमारी जो गाइडलाइन्स हैं, उनके तहत जो-जो आते हैं, उन सभी श्रेणियों को उसमें शामिल कर लिया गया है।

श्री सभापति: दूसरा सप्लीमेंट्री पूछिए।

श्री **शिवानन्द तिवारी**: सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के पश्चिमी महाराष्ट्र में पूना और ऐसे इलाके, जहां अंगूर और गन्ने की खेती होती है, उस इलाके के किसान एक-एक एकड़ जमीन पर अस्सी हजार, एक लाख रुपए का कर्ज लेते हैं। यह जो ऋण की माफी हुई है, वह ऐसे किसानों की है, जो कम जमीन पर काफी ज्यादा आमदनी इकट्ठी कर रही हैं। पूना और नासिक जैसे इलाकों में किसानों को वैसे ही ज्यादा फायदा हुआ,

श्री पवन कुमार बंसल: सभापति जी, यह दुबारा वही सवाल है। जो सीमाएं तय की गई थीं, उसी के तहत दिया गया है। महाराष्ट्र में 42,48,000 लघु किसान और दूसरे किसानों को यह फायदा मिला है। यह पैसा 8,951 करोड़ से ऊपर मिला है। मैं फिर वही बात दोहराना चाहता हूं कि बहुत लोग रह गए होंगे, लेकिन जो अलाइड सर्विसेज़ हैं, **...(व्यवधान)...**

श्री शिवानन्द तिवारी: मराठवाड़ा **...(व्यवधान)...** जितने किसानों को राहत मिली है...(व्यवधान)...उसमें सबसे ज्यादा लोग हैं...(व्यवधान)...

श्री पवन कुमार बंसल: वह अलग-अलग कोशिश थी, सब प्रदेशों में अलग-अलग ब्रांचेज थीं, जो बैंकों की शाखाएं हैं, उनको ये हिदायतें थीं, सभी ने वहां लगाया हुआ है, उसके पश्चात् एक-एक प्रदेश के जो विभाग थे, पूरा बैंक मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर लगा रखा है, सभी सदस्य उसे देख सकते हैं। अलाइड सर्विसेज़ में, एक्टिविटीज में जो-जो आते हैं, उन सभी को यह राहत मिल पाई है।

श्री ईश्वर सिंह: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के विचार में भूमिहीन लोगों के ऋण माफ करने की कोई योजना है? यदि है तो क्या है और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है?

श्री पवन कुमार बंसल: सभापति जी, जो भूमिहीन लोग हैं, उनके लिए सरकार की और बहुत-सी स्कीम्स हैं, जिनके जरिए उन्हें कोई न कोई राहत मिल रही है। सबसे बड़ी उपलब्धि यह अचीव की है कि जिन लोगों ने निजी मनी लेंडर्स से पैसा ले रखा था, उनके लिए सरकार ने स्कीम बनाई है। सभी बैंकों ने, आई.बी.ए. (इंडियन बैंक एसोसिएशन) और रिजर्व बैंक ने उन सभी से परामर्श करके यह सिफारिश की है कि जिन्होंने बहुत ऊंची दर

पर प्राइवेट लोगों से पैसा ले रखा है, उसके लिए उन्हें पैसा दिया जाए। मैं यह संतोष के साथ और साथ ही फ़ख्र के साथ कह रहा हूं कि पिछले समय में इसमें काफी बड़ा अंतर आया है। लोगों को बैंकों के जरिए वह पैसा मिल पाया है, जिससे उनके जीवन में एक बहुत बड़ा अंतर आया है।

श्री विक्रम वर्मा: सभापति जी, जैसाकि अभी बताया गया है कि इतना-इतना ऋण माफ हुआ है, इतना सब कुछ हुआ है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस राशि में से बैंकों ने पूर्व में क्या एन.पी.ए. या राइट ऑफ किया था? वह कुल कितनी राशि थी और उससे कितने किसान लाभान्वित हैं? क्या उस राशि को भी इस ऋण मुक्ति की राशि में समाहित कर लिया गया है? कृपया जवाब दें

श्री पवन कुमार बंसल: सभापति जी, माननीय सदस्य जानते हैं कि एन.पी.ए. के लिए, जो कृषि क्षेत्र में होता है, वह अठारह महीनों का बन जाता है। अगर उसके दो साइकल्स के लिए पैसा न दिया जाए, वह एन.पी.ए. बनता है, इस स्कीम में एन.पी.ए. शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ था, इसमें यह इस्तेमाल हुआ था कि 31 मार्च, 2007 से पहले किन लोगों को ऋण की अदायगी हुई थी...। जिन लोगों का अतिदेय था, which was overdue as on 31st December, 2007 और 29 फरवरी, 2008 तक जिसका भुगतान वापस नहीं हो पाया था, वे सभी के सभी इसमें शामिल हुए हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री विक्रम वर्मा : सर, मेरा प्रश्न यह है कि ...**(व्यवधान)**...

श्री पवन कुमार बंसल : और, सर, write-off वे हुए हैं, जो 31 दिसम्बर, 2007 तक अतिदेय थे, वे सभी के सभी, उनमें एनपीए भी है, जो भी उस वक्त अतिदेय थे, वे माफ हुए हैं या राहत मिली है।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Depletion of foreign exchange reserves

*143. PROF. ALKA BALRAM KSHATRIYA :
SHRIMATI SHOBHANA BHARTIA :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether a large amount of the country's foreign exchange reserves has depleted in the last six months;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether the fast depletion of foreign exchange reserves has serious implications and depreciation on the value of rupee; and

(d) if so, the steps Government proposes to take in this regard?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) The foreign exchange reserves comprising Foreign Currency Assets (FCA), Gold, Special Drawing Rights and Reserve Tranche Position with IMF, declined from a level of US $ 295.31 billion at the end of August, 2008 to a level of US $ 249.69 billion on February 13, 2009.

(b) Intervention by the Reserve Bank of India (RBI) in the foreign exchange market to smoothen exchange rate volatility and valuation changes due to *inter se* movement of US dollar against other currencies were major factors responsible for decline in foreign exchange reserves.

Sir, the hon. Member's second part of the question is correct. There are many employees who go on a proper Visa. But, certain employers take the Passport into their custody. They never renew it in time and make the employee become illegal. This has been done with an idea to get more work from the employee or exploit him. So, in such a situation, we are very vigilant. We are making the Embassy to intervene. We have been pursuing such matters. We are making our best to see that no employee is harassed and become illegal through illegal actions of the employer.

श्री अवतार सिंह करीमपुरी: सर, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने कहा है कि 'On how many migrant labourers in jails abroad, I have no perfect information.' मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वे आने वाले समय में क्या कोई ऐसा प्रावधान करेंगे कि कम से कम परफेक्ट इंफोर्मेशन सरकार के पास आए। जो हमारे लेबर्स हैं और जिनको नाजायज तरीके से जेलों में रखा गया है, उनके लिए रूटीन में सरकार कार्यवाही करे।

SHRI VAYALAR RAVI: We are collecting the information on the basis of the question from different Ministries. As soon as I receive the information, I will place it on the Table of the House.

श्री बनवारी लाल कंछल: सर, एक सेकंड। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: No, no. No interventions......*(Interruptions)*......I am sorry.

आप इंटरवीन नहीं करेंगे। आपको इसका जवाब नहीं मिलेगा।

किसानों को ऋण की वसूली में छूट प्रदान किया जाना

***148. श्री शिवानन्द तिवारी**:††
डॉ. मुरली मनोहर जोशी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में उन किसानों पर 32,000 करोड़ रुपए का ऋण बकाया है जिनके पास पांच एकड़ और इससे अधिक कृषि भूमि है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस ऋण की वसूली में सरकार द्वारा कतिपय छूट दिए जाने की कोई योजना विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना की रूपरेखा क्या है और इस योजना से देश में कितने किसानों को लाभ मिलेगा?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) से (घ) एक विवरण राज्य सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) एवं (ख) नाबार्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 31 मार्च, 2007 को 5 एकड़ या उससे अधिक जोत वाले किसानों के खातों में 2,93,070 करोड़ रु के बकाए में से 43,446 करोड़ रु. अतिदेय था।

(ग) एवं (घ) कृषि ऋण माफी और ऋण राहत (एडीडब्ल्यूडीआर) योजना, 2008 में 5 एकड़ या उससे अधिक जोत वाले सभी किसानों के लिए एकबारगी निपटान (ओटीएस) का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत 30 जून, 2009 तक तीन किस्तों में 75 प्रतिशत बकाया का भुगतान करने पर शेष 25 प्रतिशत की छूट दी गयी है। जनवरी,

†† सभा में यह प्रश्न श्री शिवानन्द तिवारी द्वारा पूछा गया।